FORM NO. 14 [See Regulation 33(2)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR

1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/201/2022 Next Date : 26.05.2025

STATE BANK OF INDIA
VERSUS
To, **PRABHAT MAL SAINI**

(CD 1) Prabhat Mal Saini S/O Shri Tej Mal Saini
R/O Plot No 37, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur
(CD 2) Smt Nivedita R Saini W/O Shri Prabhat Mal Saini,
R/O Plot No 37, Nirman Nagar Ajmer Road, Jaipur

This is notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in **OA/86/2020** an amount of **Rs. 65,83,650/- (Sixty Five Lakh Eighty Three Thousand Six Hundred Fifty)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
3. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **26.05.2025** at 10.30 a.m. for further proceedings.
4. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.
b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

NOTE : Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI. Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date **29.03.2025.**

Seal **Recovery Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच–III, के समक्ष नई दिल्ली
"फार्म नं. एनसीएलटी–3ए"
विज्ञापन विवरण याचिका
[राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम 2016 के नियम 35 के अनुसार]
सीपी (सीएए) 38 / एनडी / 2025
सम्बद्ध
सीपी (सीएए)–23 / एनडी / 2025

निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में
मैसर्स चिरोनपरफॉर्मिक्स मैनेजमेंट एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U74300DL2022PTC394363
PAN : AAKCC1277G
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी पंजीकृत कार्यालय : सी–126, ग्राउंड फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–1, नई दिल्ली–110020, इंडिया.
ईमेल आईडी : info@cpmsm.in
..हस्तांतरणकर्ता कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 1 के साथ और में
मैसर्स सीपीएम इंडिया सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U72900DI2002PTC115507
PAN : AABCV8397F
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी पंजीकृत कार्यालय : बी–227, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–1, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली–110020, इंडिया.
ईमेल आईडी : sanjay.sehgal@cpmindia.com
......हस्तांतरिती कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 2

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के तहत एक याचिका, जिसके अंतर्गत विलय की योजना को मंजूरी देने की मांग की गई है **मैसर्स चिरोनपरफॉर्मिक्स मैनेजमेंट एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड** (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 1), और में **मैसर्स सीपीएम इंडिया सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड** (हस्तांतरिती कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 2), राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच–III, के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त याचिका पर 21.04.2025 को सुनवाई की गई, और अब माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष 14.07.2025 को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका / आवेदक / संदर्भ का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो, वह याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को अपने आशय की सूचना अपने पूरे नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ याचिका / आवेदक / संदर्भ पर सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास भेज सकता है। जहां वह याचिका / आवेदक / संदर्भ का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका / आवेदक / संदर्भ की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक : 29.04.2025 हस्ता / –
पीनाम एण्ड कंपनी एलएलपी
एफ–14 / 15, दूसरा फ्लोर शिवम हाऊस, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
मोबाइल : 9999366607 / 9899199120
complianceandlegal@pnam.co

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLGRG00247768 1. जीतेश पराशर प्रोपराइटर जेन एक्स 3 डी 2. मोहिंदर पॉल पराशर 3. प्रेम पराशर	अपार्टमेंट नंबर 645, जिसका कवर्ड बिल्ट–अप एरिया 1520 वर्ग फीट या (141.21 वर्ग मीटर) है और सुपर एरिया 1875 वर्ग फीट (174.19 वर्ग मीटर) है छठी मंजिल पर, टावर 'रोमानो' में, साथ ही एक डबल कवर्ड कार पार्किंग स्पेस है, जो 'महागुन मॉडर्न' के नाम वाली ग्रुप हाउसिंग स्कीम में है, प्लॉट नंबर जीएच–02, सेक्टर–78 में स्थित है, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश, भूमि में आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य हिस्सेदारी सहित।	20.02.2019	रु. 85,48,271.63/- (रुपए पिचासी लाख अड़तालीस हजार दो सौ इकहत्तर और तिरेसठ पैसे मात्र) 19.03.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट के ट्रस्टी)
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : नोएडा

SBI **STATE BANK OF INDIA**

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित **उधारकर्ता और गारंटर श्रीमती कमलेश गौतम पत्नी श्री त्रिभुवन पाल नामदेव (उधारकर्ता और बंधककर्ता), और श्री त्रिभुवन पाल नामदेव (उधारकर्ता और बंधककर्ता)** ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. स.	उधारकर्ता का नाम	संपत्तियों का विवरण/सुरक्षित परिसंपत्तियों का पता लागू किया जाना है	नोटिस की तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया राशि (नोटिस की तिथि के अनुसार)
1. 2.	**श्रीमती -कमलेश गौतम पत्नी श्री त्रिभुवन पाल नामदेव** **श्री त्रिभुवन पाल नामदेव**	संपूर्ण भाग एवं पार्सल आवासीय मकान नंबर 6 एवं 7 का दक्षिणी भाग, कृष्णा विहार, बजरंग नगर रोड, कोटा-324001 श्रीमती कमलेश गौतम एवं श्री त्रिभुवन पाल नामदेव के नाम पर। माप क्षेत्र: 283.33 वर्ग. गज	22.04.2025	18.08.2024	**22.04.2025** तक **रु.1,11,14,692.49 (एक करोड़ ग्यारह लाख चौदह हजार छह सौ निन्यानवे रुपये और उन्तालीस पैसे मात्र)** (22.04.2025 तक ब्याज सहित)

नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) और/या उनके गारंटर(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। **उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।**

दिनांक : 29.04.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: जयपुर **भारतीय स्टेट बैंक**

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLDMT00346679 1. गुलशन कुमार ग्रोवर प्रोपराइटर मानसी प्लास्टिक्स 2. अलका उर्फ अलका ग्रोवर	प्लॉट नंबर 8, पहली मंजिल, ब्लॉक–बी, पॉकेट–8, सेक्टर–03, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, दिल्ली।	05.04.2025	रु. 31,83,645.14/- (रुपए इकतीस लाख तिरासी हजार छह सौ पैंतालीस और चौदह पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHEDMT00466965 1. गुलशन कुमार ग्रोवर प्रोपराइटर मानसी प्लास्टिक्स 2. अलका उर्फ अलका ग्रोवर	पूरी पहली मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों बिना, निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 8, जमीन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, ब्लॉक और पॉकेट बी–8 में, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, दिल्ली। पूरी पहली मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों बिना, निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 9, जमीन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, ब्लॉक और पॉकेट बी–8 में, सेक्टर–3, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित है, रोहिणी, दिल्ली–110085।	05.04.2025	रु. 37,65,914.98/- (रुपए सैंतीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ चौदह और अट्ठानवे पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLDMT00346648 1. गुलशन कुमार ग्रोवर प्रोपराइटर मानसी प्लास्टिक्स 2. अलका उर्फ अलका ग्रोवर	पूरी पहली मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों बिना, निर्मित संपत्ति बेअरिंग नंबर 9, जमीन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, ब्लॉक और पॉकेट बी–8 में, सेक्टर–3, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित है, रोहिणी, दिल्ली–110085।	05.04.2025	रु. 31,80,926.14/- (रुपए इकतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ छब्बीस और चौदह पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00546431 1. दुर्गेश कुमार 2. सोनम सेन	निर्मित दूसरी मंजिल, सामने की तरफ, प्लॉट नंबर ए–18, खसरा नंबर 47, सुभाष पार्क, गांव बिंदपुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059।	05.04.2025	रु. 24,05,838.48/- (रुपए चौबीस लाख पांच हजार आठ सौ अड़तीस और अड़तालीस पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार
5.	कर्ज खाता क्र. HHLBHI00434007 1. राज कुमार अहलावत 2. सुमन	एमसी यूनिट नंबर–एस–2294/2, खसरा नंबर–147//12(7–3), इंद्रा कॉलोनी मौजा– भिवानी– 127021, हरियाणा।	10.04.2025	रु. 37,11,093.02/- (रुपए सैंतीस लाख ग्यारह हजार तिरानवे और दो पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : दिल्ली / नई दिल्ली / भिवानी

CSL Finance Limted

पंजीकृत कार्यालय : 410–412, 18 / 12, चतुर्थ तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, **निगमित कार्यालय :** 716–717, 7वाँ तल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, (उत्तर प्रदेश), **दूरभाष :** 91 120 4290650 / 52 / 53 / 54 / 55, **ईमेल :** info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, **वेबसाइट :** www.cslfinance.in

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ('सरफॉएसि अधिनियम 2002') के अंतर्गत अचल संपत्ति के विक्रयार्थ सार्वजनिक नीलामी सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता ने अचल संपत्ति (जिसका वर्णन नीचे किया गया है) को सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड ("ऋणदाता") के पास गिरवी रख दिया है, तथा उक्त अचल संपत्ति ("सुरक्षित परिसंपत्ति / संपत्ति") का कब्जा सरफॉएसि अधिनियम 2002 तथा उसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित परिसंपत्ति को ऋणदाता द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बोली लगाकर बेचा जाएगा, जिसमें लागू ब्याज, शुल्क, प्रभार तथा लागत आदि के साथ ऋण बकाया की वसूली की जाएगी। सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचा जा रहा है तथा बोलीदान "जैसी है जहां है, जैसी है जो है, वहां जो कुछ भी है, बिना किसी सहारे के आधार पर तथा ऋणभार के साथ" प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम (जिसे आगे नियम कहा जाएगा) के नियम संख्या 8 तथा 9 के अंतर्गत तथा नीचे निर्दिष्ट नियमों तथा शर्तों पर आयोजित किया जायेगा :

उधारकर्ताओं के नाम एवं पते	सह–उधारकर्ताओं के नाम एवं पते	मांग सूचना तिथि 17.06.2024 के अनुसार बकाया राशि :
उधारकर्ता / सुरक्षा प्रदाता : **श्री सुरेन्द्र यादव** सी 82, संजय ग्राम, गुड़गांव, हरियाणा–122001 **ऋण खाता संख्या : SMEGUR0001863**	**सह–उधारकर्ता :** **श्रीमती पुष्पा यादव** **श्री हर्ष यादव** सी 82, संजय ग्राम, गुड़गांव, हरियाणा–122001	**रु. 35,26,890 / – (रुपये पैंतीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ नब्बे मात्र) 14.06.2024** के अनुसार, भविष्य के ब्याज, शुल्कों, लागतों और प्रभारों सहित। **28.04.2025 के अनुसार कुल बकाया राशि :** **रु. 45,68,399 / – (रुपये पैंतालीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ निन्यानबे मात्र)** भविष्य के ब्याज, शुल्कों, लागतों और प्रभारों सहित।

स्वामित्व धारक का नाम	संपत्ति विवरण	सुरक्षित परिसंपत्ति की नीलामी का स्थान, तिथि और समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि
श्री सुरेंद्र यादव	अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो सी–82 के रूप में है, जिसका क्षेत्रफल 86 वर्ग गज है, जिसमें खेवट / खाता संख्या– 308 / 270, खतौनी–481 मिन., खसरा संख्या 6885 / 195 (1–5–0), रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 0 बिस्वांसी हिस्सा 11 / 500 समाविष्ट है, यानी रकबा 0 बीघा 0 बिस्वा 11 बिस्वांसी (86 वर्ग गज) समाविष्ट है जो वाका सिवाना मौजा गुड़गांव गांव गुड़गांव, तहसील और जिला गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर स्थित है। संपत्ति की सीमाएं और आयाम निम्नानुसार हैं :– स्वामित्व विलेखों के अनुसार : उत्तर : सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : अन्य की संपत्ति। वास्तविक / तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार : उत्तर : 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य संपत्ति, पूर्व : संपत्ति सी–81, पश्चिम : खुली भूमि।	**दिनांक : 15 मई 2025** समय : 11:00 पूर्वाह्न **स्थान : सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड–** दुकान संख्या 144 / 7, प्रथम तल, वर्मा टावर, भीम नगर चौक, रेलवे रोड के पास, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001	**आरक्षित मूल्य : रु. 35,00,000 / –** **ईएमडी : आरक्षित मूल्य का न्यूनतम 25% अर्थात् रु. 8,75,000 / –**

केवाईसी प्रलेख / ईएमडी के प्रमाण आदि के साथ भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय : 13 मई 2025 को अप. 4:00 बजे

सुरक्षित परिसंपत्तियों के निरीक्षण की तिथि और समय : 10 / 05 / 2025 से 12 / 05 / 2025 मध्या. 11:00 से अप. 3:00 बजे के मध्य

प्राधिकृत अधिकारी के विवरण : नाम : श्री रविंदर : ईमेल आईडी : legal@cslfinance.in, मोबाइल नं. 9773896803

सार्वजनिक नीलामी की शर्तें और नियम इस प्रकार हैं : 1. **सार्वजनिक नीलामी "जैसी है जहां है, जैसी है जो है, वहां जो कुछ भी है, बिना किसी सहारे के आधार पर तथा ऋणभार के साथ" आयोजित की जा रही है और इसे सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात हों या अज्ञात। बोली प्रपत्र, घोषणा, सार्वजनिक नीलामी की सामान्य शर्तें और नियम सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालय से दुकान 144 / 7, प्रथम तल, वर्मा टावर, भीम नगर चौक, रेलवे रोड के पास, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 से प्राप्त किए जा सकते हैं।** 2. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। 3. **प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति के मालिक ने अन्य बैंकों के पक्ष में भी एक चार्ज बनाया है, हालाँकि, सीएसएल ने 18.12.2025 को उक्त बंधक संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा पहले ही ले लिया है। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि इच्छुक बोलीदाताओं को किसी भी दावे, शुल्क, बकाया, भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा / माप के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। संपत्ति में किसी भी विसंगति के लिए भाग लेने वाले बोलीदाता बोली जमा करने की तारीख से भविष्य के सभी उपायों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।** 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है, हालांकि यदि उधारकर्ता / गारंटर बिक्री से पहले पूरी बकाया राशि का भुगतान करता है, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी। 5. बोली प्रस्तुत करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर शुल्क / बाधा या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. **प्राधिकृत अधिकारी / सीएसएल बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी को भी किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, बाधा, संपत्ति कर बकाया, बिजली बकाया आदि या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और बोलीदाता उक्त मुद्दों पर विवाद नहीं करेगा, यदि बाद में पाया जाता है।** 7. सार्वजनिक नीलामी नोटिस / विज्ञापन सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के किसी भी प्रस्ताव, प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही गठन करता हुआ माना जाएगा। 8. बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 और उसके नियमों के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी। 9. बोली लगाने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले (क) स्वामित्व और लिंक दस्तावेजों और (ख) संपत्ति का निरीक्षण करें और सुरक्षित संपत्ति और विनिर्देश के बारे में खुद को संतुष्ट करें। निरीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश करने से पहले, यह आवश्यक है कि इच्छुक खरीदार अपने हस्ताक्षर के साथ संपत्ति में अपने प्रवेश और निकास की पुष्टि करने वाले रजिस्टर में अपनी पहचान, पता और संपर्क विवरण प्रस्तुत करें। 10. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियों को ईएमडी के साथ जमा करना होगा, जो केवल डीडी / एनईएफटी / आरजीटीएस के माध्यम से सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में नोएडा में देय होगा, जो ऊपर उल्लिखित अंतिम दिन और समय पर या उससे पहले देय होगा। 11. बोलियां अन्य दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस पर "खरीद के लिए प्रस्ताव– **श्री सुरेन्द्र यादव, लैनः SMEGUR0001863** लिखा हो, ताकि बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राधिकृत अधिकारी तक पहुंच जाएं। 12. बोली लगाने वाले को बोली जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे : **i)** भुगतान की गई ईएमडी का प्रमाण, **ii)** पैन कार्ड की प्रति, iii) पहचान का प्रमाण / पता प्रमाण / आधार कार्ड / केवाईसी (स्व–सत्यापित प्रतियां) जिसके बिना बोली खारिज हो जाएगी। 13. बोली लगाने वाला अकेला ही सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं है। 14. सफल बोली लगाने वाले को प्रस्ताव की स्वीकृति और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के सफल बोली लगाने वाले की घोषणा के तुरंत बाद खरीद राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा । 15. खरीद राशि का शेष 75% सफल बोलीदाता द्वारा 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्वतः जब्त हो जाएगी और किसी भी प्रकार की वापसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता के पास संपत्ति / राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार नहीं होगा और यदि कोई हो तो वह फिर से नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा। 16. सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के संबंध में बोलीदाताओं / सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी या किसी भी राशि पर कोई ब्याज लागू नहीं होगा। 17. क्रेता / सफल बोलीदाता (क) लागू स्टांप ड्यूटी / पंजीकरण / हस्तांतरण शुल्क वहन करेगा; (ख) किसी व्यक्ति, संघ या प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक, गैर–वैधानिक, रूपांतरण, बिजली, सीवेज शुल्क, कोई भी बकाया, उपकर, शुल्क, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क आदि केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। 18. बिक्री प्रमाण–पत्र केवल सफल बोलीदाता के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा। 19. सफल बोलीदाता को पंजीकरण आदि की व्यवस्था करनी होगी तथा प्रचलित स्टाम्प एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिक्री प्रमाण–पत्र की लागत वहन करनी होगी। सफल बोलीदाता को परिवहन, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर, शुल्क आदि के लिए लागू होने वाले शुल्कों का वहन करना होगा। 20. भार या प्रभार के साथ संपत्ति की बिक्री के मामले में, सफल बोलीदाता / क्रेता प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री पूरी करने के लिए आवश्यक धनराशि जमा करेगा। 21. यदि सार्वजनिक नीलामी रोक दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है या पुनर्निर्धारित या रद्द कर दी जाती है, तो सीएसएल शाखा के नोटिस बोर्ड पर एक सार्वजनिक सूचना लगाई जाएगी तथा इस संबंध में किसी भी बोलीदाता को या अन्यथा कोई व्यक्तिगत / व्यक्तिगत संचार नहीं भेजा जाएगा। 22. बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उन्होंने सार्वजनिक नीलामी को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को पढ़, समझ लिया है तथा स्वीकार कर लिया है। 23. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी नीलामी कार्यवाही के समापन पर वापस कर दी जाएगी। 24. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव / बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक नीलामी को स्थगित / टालने / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। 25. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से : 9773896803 पर संपर्क करें।

हस्ता. / –
दिनाँक : 28–04–2025 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : गुरुग्राम (हरियाणा) **सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड**

हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सईदापेट, चेन्नई–600015
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.–286, द्वितीय तल, पाकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
ई–मेल : auction@hindujahousingfinance.com

एएलएम – प्रमोद चंद, मोबाइल नंबर 9990338759 • आरआरएम – पवन कुमार पांडे, मोबाइल नंबर – 8010562716
सीएलएम – निधि जुयाल, मोबाइल नंबर – 7292079861, • सीएलएम – सनी मलिक, मोबाइल नंबर – 8006879454,

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नंबर 3) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना प्रत्येक खाते के सामने और इसमें आगे वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और गारंटरों को सामूहिक रूप से "कर्जदार" कहा गया है) से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को ले लिया है।

एतद्द्वारा कर्जदार / गारंटर को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** की बकाया राशि तथा उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदारों / गारंटरों का नाम	मांग सूचना तिथि / कब्जा की तिथि	बकाया राशि
1.	DL/NGL/MEBH/A000000525, **श्री कृष्ण कुमार थापा,** आरजेड–21 / 222, जे ब्लॉक, सागरपुर नई दिल्ली–110046, **श्री नैन्सी मार्शल,** एच. नं.–43, एमएस ब्लॉक राणा जी एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110043	02–01–2025 26–04–2025 सांकेतिक	रु. 30,41,283 / – 23–12–2024 तक + उस पर ब्याज
	अचल सम्पत्ति का विवरण : निर्मित सम्पत्ति प्राइवेट यूनिट नंबर डी–2, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, सामने का दाहिना भाग, टॉवर–1, क्षेत्रफल परिमाप 60 वर्ग गज अर्थात 50.155 वर्ग मीटर, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड जे–6 और जे–7 का अंश, खसरा नंबर 21 / 6 का हिस्सा, ग्राम असालतपुर खादर के क्षेत्र में स्थित, कालोनी चाणक्य प्लेस के नाम से मशहूर, पार्ट–1, ब्लॉक–जे, उत्तम नगर, शिव मंदिर के पास, नई दिल्ली–110059 **चौहद्दी निम्नानुसार :** पूरब : अन्य फ्लैट, पश्चिम : रोड 20 फीट, उत्तर : अन्य फ्लैट / प्लॉट, दक्षिण : टॉवर नंबर 2 / अन्य प्लॉट		
2.	DL/TLK/TIHR/A000000176, **श्री अमित कुमार अग्रवाल, श्रीमती पूनम अग्रवाल, दोनों निवासी,** मकान नंबर 1087, गली राजा उग्रसेन, बाजार सीता राम, लाल दरवाजा के सामने, दिल्ली–110006	02–01–2025 23–04–2025 सांकेतिक	रु. 10,11,571 / – 23–12–2024 तक + उस पर ब्याज
	अचल सम्पत्ति का विवरण : निर्मित संपूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर एम18 पर सम्पत्ति का हिस्सा, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 63 / 3 का भाग, ब्लॉक–एम के नाम से मशहूर कॉलोनी, गांव हस्तसाल में स्थित, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 **चौहद्दी निम्नानुसार –** पूरब : प्लॉट नं. 19, पश्चिम : प्लॉट का हिस्सा, उत्तर : रोड 20 फीट, दक्षिण : प्लॉट का हिस्सा		
3.	DL/OKH/OKHL/A000000873 एवं CO/CPC/CPOF/A000003904, **श्री अजीज खान, श्री कमाल खान, मोना, सभी निवासी,** एच. नं.–43, एमएस ब्लॉक राणा जी एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110043	02–01–2025 23–04–2025 सांकेतिक	रु. 28,02,050 / – 24–12–2024 तक + उस पर ब्याज
	अचल सम्पत्ति का विवरण : एल–टाइप में निर्मित, पिछला भाग, बाईं ओर, पीछे का उत्तरी भाग, प्रथम तल, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, सम्पत्ति संख्या 20, 21, 22 का अंश, कुल भूमि क्षेत्रफल 295 वर्ग गज में से 73.75 वर्ग गज (यानी 61.7 वर्ग मीटर) परिमाप का भूमि क्षेत्र, खसरा संख्या 319 का अंश, जो गांव नवादा, माजरा हस्तसाल की राजस्व संपदा में सिद्धात्री एन्क्लेव के नाम से जानी जाने वाली कालोनी, गली नंबर 03, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित है और निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : खाली प्लॉट / गली, उत्तर : रोड 25 फीट, दक्षिण : गली 15 फीट		

दिनांक : 30–04–2025, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदूजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

Protium **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड**
(पूर्ववर्ती ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टैक्नोलॉजीज लि.)
निर्लोन नॉलेज पार्क (एनकेपी) बी–2, सातवीं मंजिल, पहाड़ी गाँव, ऑफ दि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगाँव (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र–400063

कब्जा नोटिस (धारा 13(4) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टैक्नोलॉजीज लि.) (यहाँ आगे ''प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड'' कहा गया है) के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **मांग नोटिस दिनांकित 10 जनवरी 2025** जारी किया था जिसमें ऋण खाता संख्या नं. GS002LAP1499289 के संबंध में **कर्जदारों माँ काली फर्नीचर अपने प्रॉपराईटर स्नेह लता पत्नी रवि कुमार और सह–कर्जदारों 1. स्नेह लता पत्नी रवि कुमार 2. पारुल शौकीन 3. माँ काली इंटीरियर अपने प्रॉपराईटर पारुल शौकीन के माध्यम से,** से नोटिस में उल्लिखित दिनांक **07 जनवरी, 2025** को राशि **रु. 2,03,37,828.36 / – (रुपये दो करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार आठ सौ अट्ठाईस और छत्तीस पैसा मात्र)** को आगे की ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदारों के राशि अदा न कर पाने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर पश्चिम जिला रोहिणी कोर्ट दिल्ली ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **केस नंबर 6611/2025** में आदेश दिनांकित **02.04.2025** जारी किया था जिसमें उल्लिखित स्थान पर प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए एडवोकेट **श्री अतुल तंवर** को नियुक्त किया। उक्त आदेश दिनांक 26.04.2025 को कार्यान्वित किया गया और एडवोकेट **श्री अतुल तंवर** ने नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपित्त / बंधक संपत्ति का दिनांक **26.04.2025** को भौतिक कब्जा ले लिया और प्रत्याभूत परिसंपित्त / बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द कर दिया।

साथ ही, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड बकाया राशि की वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उक्त संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया में है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा कोई स्थगन / निषेध आदेश पारित नहीं किया गया है और यह स्पष्ट स्वामित्व है तथा किसी भी तरह के ऋणभार से मुक्त है। लोग जो उक्त संपत्ति में रुचि रखते हैं, वे प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर शुरू की गई नीलामी में भाग ले सकते हैं।

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन दिनांक **07 जनवरी, 2025** को राशि **रु. 2,03,37,828.36 / – (रुपये दो करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार आठ सौ अट्ठाईस और छत्तीस पैसा मात्र)** और इस पर आगे की ब्याज, लागतों, प्रभारों, वहन व्ययों के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदारों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

निर्मित संपत्ति संख्या 113, छत अधिकार सहित, भूमि क्षेत्रफल 128 वर्ग गज अर्थात 107 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 359 से 362 में से, गाँव मंगोलपुर खुर्द के पुराना लाल डोरा 1908–09 में, दिल्ली – 110 085 (यहाँ आगे उक्त संपत्ति कहा गया है)। पूर्वः अजीत सिंह का प्लॉट, पश्चिमः अमित कुमार का प्लॉट, उत्तरः सड़क, दक्षिण, दक्षिणः राम चंदर का प्लॉट। अन्य सभी अधिकारों, बिल्डिंग, संशोधनों और उससे संबंधित सुख–सुविधाओं के साथ।

कब्जे की तारीखः 26 अप्रैल, 2025 कृते **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड**
कब्जे का स्थानः दिल्ली **(प्राधिकृत अधिकारी)**

BRANCH SHIFTING

For the better convenience of our valued customers, we are shifting
Narela Branch (1101) under Delhi North Region to our new premises with effect from
01/08/2025
The new address is as mentioned below:
Muthoot Finance Ltd.,
Ground Floor, U-16, Railway Road Narela, Delhi-110040
Ph.: 7994452430, 7994452431.
E-mail: mgnar1101@muthootgroup.com
In case of any grievance, please call 011-46697801
We solicit your continued patronage and support.
Muthoot Finance
muthootfinance.com
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

BRANCH SHIFTING

For the better convenience of our valued customers, we are shifting
Rajatpath Mansarovar Branch (1766) under Jaipur Region to our new premises with effect from
01/08/2025
The new address is as mentioned below:
Muthoot Finance Ltd.,
Ground Floor, House No. 69/336, Mansarovar Scheme Sector-69, Zone-6, VT Road, Jaipur, Rajasthan-302020.
Ph.: 9746891563, 9746891749
E-mail: mgraj1766@muthootgroup.com
In case of any grievance, please call 011-46697801
We solicit your continued patronage and support.
Muthoot Finance
muthootfinance.com
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

50 years of converting news into economic intelligence.

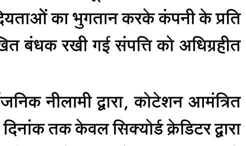

Protium **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड**
(पूर्ववर्ती ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलोजीज लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : निरलॉन नॉलेज पार्क (एनकेपी) बी–2, सातवां तल, पहाड़ी विलेज, ऑफ दि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र– 400063

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे विवरणित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत रखी गई हैं, उनका भौतिक अधिग्रहण प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड, जिसे यहाँ इसमें इसके पश्चात् प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जायेगा, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय ई–नीलामी के माध्यम से ''जैसी हैं जहाँ हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' और ''वहाँ जो कुछ भी हैं'' आधार पर किया जायेगा।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट : https://bankauctions.in के माध्यम से सार्वजनिक ई–नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

1. खाता संख्या 2. उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता के नाम, 3. बंधककर्तागण	4. माँग सूचना की तिथि 5. धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत माँग सूचना के अनुसार राशि 6. भौतिक अधिग्रहण की तिथि 7. राशि, 29 अप्रैल 2025 के अनुसार	8. संपत्ति / संपत्तियों का विवरण	9. आरक्षित मूल्य 10. धरोहर राशि जमा 11. बोली वृद्धि राशि (रु. में)	12. ई–नीलामी तिथि एवं समय 13. ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 14. निरीक्षण तिथि
1. **GS002LAP1499289** 2. (क) माँ काली फर्नीचर, अपनी स्वामिनी स्नेह लता पत्नी रवि कुमार के माध्यम से (ख) स्नेह लता पत्नी रवि कुमार (ग) पारुल शौकीन (घ) माँ काली इंटीरियर, अपनी स्वामिनी पारुल शौकीन के माध्यम से सभी का पता : भूतल, मकान नं. 113, खानजावाला रोड, मंगोल पुर खुर्द, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, 110083, अन्य पता यहां पर भी : मकान नंबर 102, तृतीय तल, दीपाली एनक्लेव, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम, दिल्ली– 110034	4. **दिनांक : 10 जनवरी 2025** 5. **रु. 2,03,37,828.36 / –** (रुपये दो करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार आठ सौ अट्ठाईस और छत्तीस पैसे मात्र) 07 जनवरी 2025 के अनुसार 07 जनवरी 2024 से राशि के पूर्ण भुगतान तक 18% की दर पर भावी ब्याज साथ ही हमारी सूचना में मांगकृतानुार अन्य शुल्क, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर। 6. **26 अप्रैल–25** 7. **रु. 2,27,57,575 / –** (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख सत्तावन हजार पांच सौ पिचहत्तर मात्र) **दिनाँक 29 अप्रैल 2025 के अनुसार**	क) अचल संपत्तियां : निर्मित संपत्ति संख्या 113, छत के अधिकार के साथ, भूमि क्षेत्र माप 128 वर्ग गज अर्थात् 107 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 359 से 362 तक, पुराने लाल डोरा में स्थित 1908–09, गांव मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली– 110 085 (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) में स्थित, इस प्रकार परिसीमित :– पूर्व : अजीत सिंह का प्लॉट, पश्चिम : अमित कुमार का प्लॉट, उत्तर : सड़क दक्षिण, दक्षिण : राम चंद्र का प्लॉट। अन्य सभी अधिकारों, भवन, सुधार और उससे संबंधित सुख–सुविधाओं के साथ	9. **रु. 2,27,57,576 / –** (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख सत्तावन हजार पांच सौ छिहत्तर मात्र) 10. **रु. 2275757.6 / –** (रुपये बाईस लाख पिचहत्तर हजार सात सौ सत्तावन एवं छह पैसे मात्र) 11. (बोली वृद्धि मूल्य : रु. 5,000 / –)	**12. 4–जून–25 को मध्या. 11:00 से अप. 2:00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)** **13. 3–जून–25 को सायं 5:00 बजे तक।** **14. 16–मई–25 को मध्या. 11:00 से सायं 5:00 बजे के मध्य**

1. समस्त इच्छुक भागीदारों / बोलीदाताओं से विनती है कि वे वेबसाइट : https://bankauctions.in तथा https://protium.co.in/ देखें। विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिये संभावित बोलीदातागण श्री नितेश डी पवार से संपर्क नंबर : 8142000725/ 8142000066ए ईमेल आईडी : nitesh@bankauctions.in/info@bankauctions.in पर तथा एम दिनेश से dinesh@bankauctions.in पर संपर्क करें।

• नियमों एवं शर्तों के अन्य विवरणों के लिये कृपया https://bankauctions.in तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिये https://protium.co.in/ देखें।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत एक 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना भी है।

दिनाँक : 30–04–2025, स्थान : मंगोल पुर खुर्द, दिल्ली **हस्ता. / –, प्राधिकृत अधिकारी, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड**

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
मेरठ शाखाः– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, पिनाकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004, (यूपी)

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित / भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल) / प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निर्दशित कर्जदार(रों) / बंधकदाता(ओं) / संबंधित कर्जदार(रों) / बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/MEE/0416/280174, HOU/MEE/0815/235719, बी.ओ. मेरठ, ओमवीर सिंह / दिव्या मोहन	**01.11.2019 तक रु. 1472960.65**	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 16, खसरा नंबर 634 का हिस्सा, इंदिरापुरी, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	रु. 943000	रु. 94300	**15.05.2025**	रु. 10000	**05.05.2025 पूर्वा. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**16.05.2025 अप. 2.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Not Known**

*उसके भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार / दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान / अदायगी सफल क्रेता / बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं) / बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करन का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल / पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा / अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा / अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता / बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही / पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, को निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा / बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता / खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेंगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अमित शर्मा संपर्क नंबर 1800 120 8800,** या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान : मेरठ, दिनांक : 30.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड